

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 41/2023 दिनांक 30.12.2023

प्रवेश-पत्र की उपलब्धता तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

20.04.2024

18.02.2024

राज्य वन सेवा परीक्षा-2024

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 28.04.2024 (रविवार)

प्रथम प्रश्न पत्र: सामान्य अध्ययन प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक द्वितीय प्रश्न पत्र: सामान्य अभिरुचि परीक्षण अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पुत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

- 1. राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यहां नोट करें कि राज्य वन सेवा (लिखित एवं साक्षात्कार) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होना एवं अई होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के विज्ञापन हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 40/2024, दिनांक 30.12.2023 का अवलोकन करें। राज्य सेवा परीक्षा 2024 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 28.04.2024 आयोजित की जाएगी।
- .2. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिलांक 19.01.2024 से दिनांक 18.02.2024 तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
- '3. राज्य सेवा परीक्षा 2024 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे । किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

B. आय् की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।

e e

2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ं ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

- . उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैकिंग द्वारा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा । शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -03 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेकं स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
- . आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-आंति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रृटि स्थार संबंधी निर्देश :-

- . <u>अञ्चर्यी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 22.01.2024</u>
 से 20.02.2024 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अञ्चर्यी

 त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । ध्यान रखे कि अञ्चर्यी के नाम में

 कोई तुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
- 2. अञ्चर्थी यह ध्यान रखें कि प्रारंशिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे प्रारंशिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि स्थार अविध में वांछित सुधार कर लें।
- 3. बुटि सुधार अविध में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारिक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-3) का भुगतान बुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारिक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरिक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी । वर्ग (अनारक्षित । अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति । अन्य पिछड़ा वर्ग । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग । िलंग (मिहला । पुरुष) । दिव्यांगता । भूतपूर्व सैनिक । शासकीय सेवक । जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अविध समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी । वर्ग । जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवाहर नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे । अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मितित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-ु

- 1. शैक्षणिक अर्हता राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 हेतु विज्ञान / इंजीनियरिंग / तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि ।
- 2. रोजगार पंजीयन -
 - (क) भाननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2024 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2024 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
 - (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अश्र्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
 - (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अध्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपर्युक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
- 3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता /अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अश्च्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अश्च्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-

- 1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 28.04.2024 को दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक 20.04.2024 से www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- 2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अञ्चर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अञ्चर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अञ्चावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सिम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है । अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि 🤫 📜

- 1 उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (यथा संशोधित) अनुसार आयोजित की जाएगी।
- चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपित्त मान्य नहीं होगी।
- 3. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
- 4. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तद्नुसार संशाधित पाठ्क्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा
- 5. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की

- जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अश्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
- 6. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5. <u>उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अविध में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2024 के अनुसार मुख्य आग 87% तथा प्रावधिक क्षाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।</u>

अन्य निर्देश :-

- . विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 2. आयोग द्वारा अञ्चर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अञ्चर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अञ्चर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अञ्चर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अञ्चर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
- 3 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अञ्चर्यी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिल्लासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अञ्चावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अञ्चर्यियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अञ्चावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर ही प्रकाशित किए जाएंगे । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।
 - आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अन्तंगती सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest) के स्थायी पदों की भर्ती, परीक्षा द्वारा किए जाने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गई है -

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				
		अना.	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	EWS
सहायक वन संरक्षक	14	4	3	3	3	1
मुख्य भाग (87%)	13	4	3	3	2	1
प्रावधिक भाग (13%)	01	1 काल्पनिक		_	1	

- टीप :-
- (1)
- शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा किया है। चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपवंध) नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक सी 3-10-12- एक-3, दिनांक 26 सितम्बर 2015, द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है।
- (3) सहायक वन संरक्षक के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है । उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है उम्मीदवार आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद हेत निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कंडिका-3)

दो- पद का विवरण-

(A) पद का नाम

सहायक वन संरक्षक

(B) विभाग का नाम

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

(C) श्रेणी

: राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(D) पदस्थिति

: स्थायी

(E) वेतनमान

रूपए 56,100-1,77,500/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के

(७वें वेतनमान अनुसार)

अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(F) अर्हता

1. शैक्षणिक

विज्ञान /इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि ।

2. प्रशिक्षण

दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3. शारीरिक मापदण्ड एवं क्षमता परीक्षण -

बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(G) कर्तव्य

वानिकी संबंधी समस्त कार्य ।

टीप- उपर्युक्त पदों के लिए उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए । इसके पश्चात किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले उम्मीदवार उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उम्मीदवार को पद के योग्य मान लिया गया है । <u>चयन प्रक्रिया में किसी भी</u>

तीन- शारीरिक मापदंड

	पुरुष	महिला
1. ऊंचाई अनारक्षित,अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	163 से.मी.	150 से.मी.
2. ऊंचाई अनुसूचित जनजाति	152 से.मी.	145 से.मी.
3. सीने की परिधि	79 से.मी.	74 से.मी.
• ज्यूनतम विस्तार	5 से.मी.	5 से.मी.
• पूर्ण विस्तारित	84 से.मी.	79 से.मी.
4. शारीरिक क्षमता परीक्षण चार घंटे पैदल चलना	25 कि.मी.	

टीप-

चार-

पांच-

75-

सात-

आठ-नौ-

दस-

- (1) चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिए जाएंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाहय सेवा (आउट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जाएगा।
- (2) शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा ।
- (3) जो अञ्चर्थी शारीरिक मापदण्ड को पूरा करने मे अथवा शारीरिक क्षमता परीक्षण अथवा मैडिकल परीक्षण मे असफल होते हैं, उनका चयन शासन द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरिक्षत पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरिक्षत है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे उम्मीदवार जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरिक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारिक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।
- (2) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें। मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अर्न्तगत अनर्हता -
- (अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।
- (व) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरिहत नहीं होगा । आयु सीमा-
 - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।

आयु संगणना तिथि 01.01.2024 होगी ।

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट - 1 देखें।

महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अईताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले उम्मीदवार अपनी अईता की जांच स्वयं कर ले और अईता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें । परीक्षा में सिम्मिलित किए जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि उम्मीदवार को अई मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवार के अनई पाए जाने पर उम्मीदवार का आवेदन-पत्र निरस्त कर उम्मीदवार की उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

अधिवार्षिकी आयु - 62 वर्ष

परिवीक्षा- सहायक वन संरक्षक के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

अनुबंध निष्पादन- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा-

- 1 चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा ।
- 2 प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा ।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया के पांच क्रिमिक चरण होंगे -

- (i) राज्य वन सेवा (मुख्य परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)
- (ii) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)

- (iii) साक्षात्कार- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा ।
- (iv) शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण- राज्य शासन द्वारा (पुरुष उम्मीदवारों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला उम्मीदवारों को सहायक वन संरक्षक हेतु 14 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला उम्मीदवारों को सहायक वन संरक्षक हेतु 14 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करनी होगी।)
- (v) स्वास्थ्य परीक्षण- मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा ।
- (vi) परीक्षा योजना -

प्रारंभिक परीक्षा- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 ही राज्य वन सेवा परीक्षा-2024 हेतु आयोजित अर्हकारी परीक्षा होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय प्रश्न) दो प्रश्न पत्र होंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गुणानुक्रम सूची केवल प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाती है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अनुसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। किन्तु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाते समय प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी। क्योंकि राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु केवल विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी संकाय के अभ्यर्थी ही पात्र है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 20 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। Negative Marking

- (vii) मुख्य परीक्षा :-
 - प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त अञ्चर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा एक प्रश्न पत्र की होगी जिसके दो खण्ड "अ" तथा "ब" होंगे तथा परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित पद्धित से ली जाएगी। मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जा रहा है।
- (viii) परीक्षा परिणामों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-
 - परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/ मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धित से 05 दिवस की अविध में आपित्तियाँ प्राप्त की जाएंगी । इस अविध के पश्चात या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपित्त हेतु 150/- रुपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रूपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपित्त हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपित्सियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपित्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

- ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्राविधक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
- 2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
- 3 ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
- 4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
- 5. विषय विशेषन्न समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी । अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/ पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषन्न समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करते हुए, जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तर का मूल्यांकन कर, परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित उम्मीदवार के समान अंक पाने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अई घोषित किए जाएंगे ।

बारह- महत्वपूर्ण :-

- आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अञ्चावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
- <u>चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर बृटि/लिपिकीय बृटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।</u>
- रेरह अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित वर्तमान E-Mail ID पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के E-Mail

ID में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए E-Mail ID की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी -) अभ्यर्थी द्वारा E-Mail ID परिवर्तन की स्थिति में नए E-Mail ID की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने E-Mail ID पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप उम्मीदवार को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में उम्मीदवार का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । उम्मीदवार अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें ।

राज्य वन सेवा परीक्षा 2024, राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक(1), दिनांक 20.12.2024) के अनुसार आयोजित की जाएगी । उक्त नियम आयोग की mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए गए हैं।

कोविड-19 एवं संक्रामक बीमारियों के संदर्भ में केन्द्र तथा राज्य शासन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सोलह- अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

(1) आयु सीमा की छूट

चौदह-

पंद्रह -

(2) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

(3) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियाँ

(4) आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु

राज्य सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन क्रमांक 40/2024 दिनांक 30.12.2023 में

उल्लेखित परिशिष्ट का अवलोकन करें।

> (प्रबल सिपाहा) सचिव